-1-

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म०प्र०

निग 2569-I/16

निगरानीप्रकरण क्रमांक- सन् 2016

डरूआ तनय वलुआ अहिरवार निवासी धरमपुरा
तहसील बिजावर जिला छतरपुर म०प्र० --- आवेदक

बनाम

शासन म०प्र० --- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म०प्र० भू०रा० संहिता 1959
निगरानी विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 21/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 26/07/16 से परिवेदित होकर ।

महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न लिखित सादर प्रार्थना है :-

1. यहकि प्रकरण इस प्रकार है कि आवेदक डरूआ तनय वलुआ अहि[illegible] साकिन धरमपुरा तहसील बिजावर ने ग्राम धरमपुरा स्थित भूमि खसरा [illegible] 2305 रकबा 1.246 हेक्टयर भूमि के विक्रय हेतु अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र अपर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिस पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा आवेदन पत्र की समुचित जाँच एवं पटवारी रिपोर्ट प्राप्त किये बगैर मनमाने तौर पर विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त कर दिया जिससे परिवेदित होकर आवेदक निम्न लिखित आधारों पर य[illegible] निगरानी प्रस्तुत करता है :-

-: निगरानी के आधार :-

2. निगरानी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक- 26/07/16 से समय सीमा के अन्दर है जो श्रीमान के श्रवण करने योग्य है ।

3. यहकि आवेदक द्वारा अपनी भूमि स्वामी स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 2305 रकबा 1.246 हे. भूमि स्थित धरमपुरा तहसील बिजा[illegible] जिला छतरपुर की भूमि विक्रय की अनुमति अपनी पारिवारिक आवश्यकता के लिये भूमि विक्रय की अनुमति चाही थी जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा [illegible]

XXXIX(a)-BR (H)-11 राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण कमांक 2569–एक/2016 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्त
5-8-16	यह निगरानी' अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्र0 क0 21 अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनॉक 26–7–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक डरूवा पुत्र बलुआ अहिरवार ने अपर कलेक्टर छतरपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके खाते की ग्राम धर्मपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 2305 रकबा 1.246 हैक्टर के विकय किये जाने हेतु अनुमति मॉगी। अपर कलेक्टर ने प्रकरण कमांक 21 अ–21/2015–16 में पारित आदेश दि. 26–7–2016 से विकय अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है। 3/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 4/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक ने आवेदक की भूमि के भू अधिकार एंव ऋण पुस्तिका की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि ग्राम धरमपुरा स्थित भूमि सर्वे नंबर 2305 रकबा 1.246 हैक्टर भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में अंकित है यह भूमि ककरीली, पथरीली होने से उपजाउ है जिसके कारण खेती का समुचित लाभ आवेदक को प्राप्त नहीं होता है इसी कारण से वह इस भूमि को विकय करके अन्य कृषि योग्य भूमि	

प्र0क0 2569–एक/2016 निगरानी

की खरीद करेगा। अपर कलेक्टर ने आवेदक के आवेदन के तथ्यों की जॉच न कराते हुये विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त करने में भूल की है।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत की गई खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम धरमपुरा स्थित भूमि सर्वे नंबर 2305 रकबा 1.246 हैक्टर आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में अंकित है तथा खसरा वर्ष 2015–16 के अंकन अनुसार भूमि विक्रय से बर्जित भी नहीं है। प्रकरण में विचार यह करना है कि क्या आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित चली आ रही भूमि आवेदक विक्रय कर सकता है ?

1. आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरूद्ध म0प्र0 राज्य तथा अन्य एक 2013 रा0नि0 8(उच्च न्यायालय) का दृष्टांत है कि म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7–ख) तथा 158(3) का लागू होना – उपबंधों के अंतःस्थापन के पूर्व का पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार दिये गये – बिना अनुमति के भूमि का अंतरण – उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया–उपबंध आकर्षित नहीं होते।
2. भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0)165(7–ख) तथा 158(3) का लागू होना – पट्टे की शर्तो का पालन करते हुये 10 वर्ष व्यतीत – रिकार्डेड भूमिस्वामी पट्टे के 10 वर्ष उपरांत भूमि के प्रत्येक प्रकार के उपभोग हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आवेदक रिकार्डेड भूमिस्वामी है। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 26–6–16 में इस तथ्य को भी विचार में नहीं लिया है कि आवेदक

XXXIX(a)-BR (H)-11 राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण कमांक 2569–एक/2016 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ता
	के पास भूमि पटटे के श्रोत से अथवा किस श्रोत से आई है जबकि आवेदक व्दारा निगरानी मेमो में बताये तथ्यों अनुसार आवेदक को ग्राम धरमपुरा स्थित भूमि सर्वे नंबर 2305 रकबा 1.246 हैक्टर वारिसाना हक पर प्राप्त हुई है जिसका वह रिकार्डेड भूमिस्वामी है , जिसके कारण आवेदक को विकय अनुमति देने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नहीं है। 6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 21 अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनॉक 26–7–2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को उसके स्वामित्व की ग्राम धरमपुरा स्थित भूमि सर्वे नंबर 2305 रकबा 1.246 हैक्टर के विकय की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :– 1. विकय पत्र का पॅजीयन वर्तमान वर्ष की प्रचलित शासकीय गाईड लायन के मान से किया जावेगा। 2. विकेता को विकय धन प्राप्त होने की सन्तुष्टि के उपरांत उप पंजीयक विकय पत्र संपादित करेंगे। 3. विकय पत्र का पंजीयन इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 90 दिवस के भीतर करना होगा, यदि इस अवधि में विकय पत्र संपादित नहीं होता है तब यह आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। सदस्य	